

(1)

कुलपति महोदय की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की मान्यता बोर्ड की दिनांक 21/03/2017 को पूर्वाह्न 11:30 बजे सम्पन्न छठी बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित ने प्रतिभाग किया :-

प्रो० नागेश्वर राव, कुलपति	अध्यक्ष
प्रो० एच०पी० शुक्ल, निदेशक	सदस्य
प्रो० गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक	सदस्य
डॉ० देवेश कुमार मिश्र, सहायक प्राध्यापक	सदस्य
प्रो० आर०सी० मिश्र, निदेशक एवं कुलसचिव	सदस्य सचिव
श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक	आमंत्रित सदस्य


सी०ए० गौतम कथूरिया, लैम्डा (Lamda) 14, ओमेक्स रिवेरा, रूद्रपुर - 263153, प्रो० दुर्गेश पंत, निदेशक, डॉ० विरेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक एवं डॉ० हेमन्त काण्डपाल, सहायक प्राध्यापक अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रतिभाग नहीं कर सके।

बैठक के आरम्भ में कुलसचिव/ सचिव मान्यता बोर्ड द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्य गणों का स्वागत करते हुए बैठक में भाग लेने हेतु आभार व्यक्त किया गया। तदुपरान्त वर्तमान बैठक की कार्यसूची विचारार्थ प्रस्तुत की गयी।

प्रस्ताव संख्या 6.1 मान्यता बोर्ड की पंचम बैठक दिनांक 01 सितम्बर, 2016 के कार्य वृत्त की पुष्टि।

मान्यता बोर्ड की पंचम बैठक दिनांक 01 सितम्बर, 2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 6.2 अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु नियमावली - 2016 में प्रस्तुत किये गये अनुलग्नक - I तालिका (A) Proposed Rates of Payment for Study Centres में बैच की संख्या के स्पष्टीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव



(2)

(2)

बैच सम्बन्धी उपर्युक्त स्पष्टीकरण PG कक्षाओं तथा प्रयोगशाला कार्य पर भी लागू होगा।

समिति ने विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित संशोधनों के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

Rates of Payment for Study Centres की तालिका में Note/ स्पष्टीकरण हेतु निम्नलिखित 3 बिन्दुओं का समावेश किया:-

बिन्दु 2. यह दर न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 70 उपस्थित विद्यार्थियों के प्रति बैच के लिए अनुमन्य है।

बिन्दु 3. बैच सम्बन्धी उपर्युक्त स्पष्टीकरण PG कक्षाओं पर भी लागू होगा।

बिन्दु 4. प्रयोगशाला बैच के लिए उपस्थित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 05 होगी।


प्रस्ताव संख्या 6.3

अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु नियमावली - 2016 में प्रस्तुत की गयी तालिका अनुलग्नक - I (B) Proposed Rates of Honorarium (Rs./ per month) for Study Centres में C,D,E,F श्रेणियों के अध्ययन केन्द्रों में छात्रों की संख्या में परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव

Rates of Honorarium (Rs./ per month) for Study Centres की तालिका में उल्लिखित Student enrolment के निम्नलिखित वर्गों में निम्नलिखित संशोधन के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

वर्ग E (1001- 2000) में निम्नलिखित संशोधन किया गया:-

1. Assistant Coordinator की संख्या 2 होगी तथा प्रत्येक का मानदेय रू0 2500/- होगा।
2. Assistant/ Class III की संख्या 2 होगी तथा प्रत्येक का मानदेय रू0 1000/- होगा।



(3)

- 3. Attendant/ Class IV की संख्या 2 होगी तथा प्रत्येक का मानदेय रू0 500/- होगा।
- 4. Safaiwala की संख्या 2 होगी तथा प्रत्येक का मानदेय रू0 500/- होगा।

वर्ग F (2001+) में निम्नलिखित संशोधन किया गया:-

- 1. Assistant/ Class III की संख्या 2 होगी तथा प्रत्येक का मानदेय रू0 1000/- होगा।
- 2. Attendant/ Class IV की संख्या 3 होगी तथा प्रत्येक का मानदेय रू0 500/- होगा।
- 3. Safaiwala की संख्या 2 होगी तथा प्रत्येक का मानदेय रू0 500/- होगा।

**प्रस्ताव संख्या 6.4** पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों की सूची, जिनके समझौता ज्ञापन (MOU) का नवीनीकरण अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु नियमावली - 2016 के अनुसार किया गया, के अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव समिति द्वारा प्रस्ताव को यथावत अनुमोदित किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 6.5** अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु नियमावली - 2016 के अनुसार अध्ययन केन्द्रों की सूची, जिनका समझौता ज्ञापन (MOU) हस्ताक्षरित किया गया, के अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव समिति द्वारा प्रस्ताव को यथावत अनुमोदित किया गया।

**प्रस्ताव संख्या 6.6** पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्रों की सूची, जिनके असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण उनकी मान्यता/ संचालन को स्थगित किया गया, के अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव समिति द्वारा प्रस्ताव को यथावत अनुमोदित किया गया।


*ZAP*

(4)

प्रस्ताव संख्या 6.7 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव।

1. जिन अध्ययन केन्द्रों में अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु नियमावली - 2016 में निर्धारित मानकों के अनुरूप छात्रों की न्यूनतम प्रवेश संख्या नहीं है, उन्हें आगामी प्रवेश सत्र 2017-18 ग्रीष्मकालीन सत्र से स्थगित कर दिया जाय।
2. समिति ने निर्देशित किया कि राज्य के राजकीय/ शासकीय/ अर्धशासकीय/ अशासकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों से पत्राचार कर उन्हें अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त सम्पन्न हुई।

  
(अरुण मिश्र)

कुलसचिव/ सदस्य सचिव

कुल सचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

कन्वेंशन (देहरादून)